यूपी के लोगों ने दिया पिछले साल की तुलना में डेढ़ गुना कर, कारोबारी गतिविधियां बढ़ीं

आर्थिक संकट से उबरा उत्तर प्रदेश जनता की कर में बढ़ी हिस्सेदारी

■ हेमंत श्रीवास्तव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोगों की खरीदारी क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिससे बाजारों में रौनक बढ़ने के साथ ही कारोबारी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसका प्रमाण वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में प्रति व्यक्ति कर के आंकड़े हैं।

इसके मुताबिक इस वर्ष राज्य सरकार को मिले कुल करों में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी 16591 रुपये रही। पूर्व के वर्ष 2020-21 में जब कोरोना से राज्य की अर्थव्यवस्था डांवाडोल हुई थी, उस समय प्रति व्यक्ति कर का भार महज 11738 रुपये ही था यानी बीते वर्ष यूपी के लोगों ने 4853 रुपये ज्यादा कर अदा किया।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा तैयार आंकड़ें सरकार का हौसला बढ़ाने वाले हैं। राज्यवार जारी इन आंकड़ों में किसी अन्य राज्य में कोरोना वर्ष 2020-21 और उसके बाद के वर्ष 2021-22 के कर राजस्व में इतना बड़ा अंतर नहीं है। करों की वसूली में बेहतर होती स्थिति के बाद भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कोई भी ऐसा वर्ष नहीं रहा जब यूपी में प्रति व्यक्ति कर भार राष्ट्रीय औसत के बराबर रहा हो।

2019-20 के सामान्य वर्ष से भी अधिक कर वसूली 2021-22 में

कोरोना से पूर्व के वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार को राजस्व के रूप में कुल 322349 करोड़ रुपये मिले थे। इस वर्ष प्रति व्यक्ति कर भार 16150 रुपये था। वहीं कोरोना बाद के वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार को करों के रूप में 331162 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान किया गया। जिसमें प्रति व्यक्ति कर भार 16591 रुपये आ रहा है।

यह धनराशि कोरोना से पूर्व के सामान्य वर्ष से 441 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अधिक है। वहीं कोरोना वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार को कुल 234297 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें प्रति व्यक्ति कर भार 11738 रुपये था।

तीन साल में उत्तर प्रदेश सरकार को मिले कर

2019-20		2020-21		2021-22	
कुल कर राजस्व	प्रति व्यक्ति कर भार	कुल कर राजस्व	प्रति व्यक्ति कर भार	कुल कर राजस्व	प्रति व्यक्ति कर भार
322349 करोड़ रुपये	16150 रुपये	234297 करोड़ रुपये	11738 रुपये	331162 करोड़ रुपये	16591 रुपये

समस्त राज्यों का कर राजस्व 2021-22

कुल कर राजस्व
2571234 करोड़
प्रति व्यक्ति कर भार
21276 रुपये

पड़ोसी राज्यों के कर राजस्व व प्रति व्यक्ति कर भार 21-22 (अनुमान)

बिहार
कुल कर राजस्व- 131736 करोड़
प्रति व्यक्ति कर भार- 12691 रुपये

उत्तराखंड
कुल कर राजस्व- 23489 करोड़
प्रति व्यक्ति कर भार- 23256 रुपये

दिल्ली
कुल कर राजस्व- 44000 करोड़
प्रति व्यक्ति कर भार- 26190 रुपये